भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1279**

दिनांक 20 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना का कार्यकरण**

**1279. श्री प्रताप सिंह बाजवाः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीआई) की प्रमुख विशेषताएं क्या-क्या हैं और लाभार्थियों से प्राप्त आवेदन और उसकी मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) क्या गर्भवती महिलाओं को मिलने वाले मातृत्व लाभ, पीएमएमवीवाई की तुलना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) में अधिक है;

(ग) यदि हां, तो इस अंतराल को पाटने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या पीएमएमवीवाई के अंतर्गत केवल प्रथम गर्भ शामिल है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या मंत्रालय का इस योजना के तहत आर्थिक लाभ और लाभार्थी पहुंच को बढ़ाने के संदर्भ में कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

डा. वीरेन्‍द्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

**(क) :** प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की मुख्‍य विशेषताएं संलग्‍न हैं । अभी तक, पीएमएमवीवाई-सीएएस पर (10.12.2018 तक) सभी 36 राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों से 61,27,503 लाभार्थियों से 1,33,47,562 आवेदन प्राप्‍त हुए हैं । 16,78,72,99,000 रूपए की राशि का मातृत्‍व लाभ 49,88,284 लाभार्थियों को निर्मुक्‍त किया गया है ।

**(ख) तथा (ग) :** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए), केन्‍द्र सरकार द्वारा बनाई गई ऐसी किसी स्‍कीम के आधार पर, केवल उन को छोड़कर जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ नियमित रोजगार में लगी हों या जो वर्तमान में लागू किसी भी विधि के तहत ऐसे लाभ ले रही हो, प्रत्‍येक गर्भवती महिला तथा स्‍तनपान कराने वाली माता, केन्‍द्र सरकार द्वारा यथा-निर्धारित किस्‍तों में कम से कम छह हजार रूपए के मातृत्‍व लाभ के लिए हकदार होंगी ।

प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अन्‍तर्गत् पात्र गर्भवती महिलाओं तथा स्‍तनपान कराने वाली माताओं (एमडब्‍ल्‍यूएंडएलएम) को गर्भावस्‍था तथा स्‍तनपान कराने की अवधि के दौरान 5,000/- का मातृत्‍व लाभ तीन किस्‍तों में दिया जाता है । पात्र लाभार्थी संस्‍थागत प्रसव के उपरांत जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत मातृत्‍व लाभ के प्रति अनुमोदित मानदंडों के अनुसार शेष नकद प्रोत्‍साहन भी प्राप्‍त करता है ताकि औसतन एक महिला 6000/- रूपए प्राप्‍त करे ।

(घ) : प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अन्‍तर्गत् पात्र लाभार्थियों को मातृत्‍व लाभ परिवार के केवल प्रथम जीवित बच्‍चे के लिए उपलब्‍ध हैं । सामान्‍यत: एक महिला अपनी पहली गर्भावस्था में नई चुनौतियों और तनाव कारकों का सामना करती है । इसलिए, यह स्‍कीम माता को सुरक्षित प्रसव और अपने पहले जीवित बच्चे के टीकाकरण के लिए सहायता प्रदान करती है ।

(ड) : भारत सरकार ने देश के सभी जिलों को शामिल करने के लिए प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) को अखिल भारत स्‍तर पर कार्यान्वित करने का अनुमोदन किया है । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश भर में पीएमएमवीवाई को कार्यान्वित कर रहा है । पीएमएमवीवाई के तहत (दिनांक 10.12.2018 तक) मातृत्‍व लाभ स्‍पष्‍ट रूप से परिभाषित हैं । अभी तक, 61,27,503 लाभार्थियों ने पीएमएमवीवाई के तहत लाभ का दावा किया है ।

\*\*\*\*\*

**अनुलग्‍नक - 1**

**प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के बारे में श्री प्रताप सिंह बाजवा द्वारा दिनांक 20.12.2018 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न सं0 1279 के भाग (क) के उत्‍तर में संदर्भित विवरण ।**

**प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) की मुख्‍य विशेषताएं**

1. मातृत्‍व लाभ, किसी महिला को परिवार के प्रथम जीवित बच्‍चे के लिए उपलब्‍ध हैं बशर्ते वह शर्तें पूरी करती हो । केन्‍द्र सरकार अथवा राज्‍य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित आधार पर नियोजित अथवा किसी भी कानून के तहत फिलहाल ऐसे लाभ प्राप्‍त करने वाली सभी गर्भवती महिलाएं तथा स्‍तनपान कराने वाली माताओं को इस योजना के लाभ से बाहर रखा गया है ।
2. पीएमएमवीवाई के तहत शर्तें तथा किस्‍तों की संख्‍या इस प्रकार हैं :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **राशि अंतरण**  | **शर्तें** | **राशि (रूपयों में)** |
| पहली किस्‍त | * गर्भधारण का समय से पंजीकरण
 | 1,000/-रुपये |
| दूसरी किस्‍त  | * कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच (गर्भधारण के 6 माह बाद)
 | 2,000/-रुपये |
| तीसरी किस्‍त | * बच्‍चे के जन्‍म का पंजीकरण कराया जाता है
* बच्‍चे ने बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी तथा हैप्‍टाइटिस बी या इसके समतुल्‍य/एवज़ी का पहला चक्र प्राप्‍त कर लिया है
 | 2,000/-रुपये |

1. माता और बाल संरक्षण कार्ड(एमसीपी) किसी शर्त को पूरा करने के बारे में सत्‍यापन के लिए सत्‍यापन उपकरण हैं ।
2. गर्भावस्था के शुरुआती पंजीकरण को पिछले मासिक धर्म अवधि (एलएमपी) की तारीख से 150 दिनों के भीतर गर्भावस्था के पंजीकरण के रूप में माना जाता है और एमसीपी कार्ड पर विधिवत दर्ज किया जाता है ।
3. सभी गर्भवती महिलाएं, जिन्होंने 01.01.2017 को या उसके बाद परिवार में पहले बच्चे के लिए अपनी गर्भावस्था का पंजीकरण कराया है, वे कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं ।
4. पीएमएमवीवाई के अंतर्गत लाभार्थियों को निधि प्रत्‍यक्ष लाभ अंतरण मोड के माध्‍यम से सीधे उनके बैंक/डाकखाने के खाते में स्‍थानांतरित कर दी जाएगी ।
5. यदि किसी लाभार्थी को प्रसव के समय दो/तीन/चार बच्‍चे पैदा होते हैं तो उसे परिवार में प्रथम जीवित बच्‍चा गिना जाएगा ।
6. लाभार्थी किसी भी समय आवेदन कर सकता है परन्‍तु गर्भावस्‍था के दो वर्ष के बाद नहीं ।
7. स्‍कीम के विभिन्‍न घटकों के लिए सहायता अनुदान एस्‍क्रो खाते के साथ ही तथा राज्‍य/ संघ राज्‍य क्षेत्र के खजाने में अंतरित कर दी जाती है । मातृत्‍व लाभ घटक के लिए (5000/- रूपए की राशि का सशर्त नकद अंतरण) राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र के एस्‍क्रो खाते में और शेष घटकों के लिए राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र के खजाना खाते के माध्‍यम से अंतरित की जाती है ।
8. केन्‍द्र में, इस स्‍कीम को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है । राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्रों का मत है कि स्‍कीम को महिला एवं बाल विकास विभाग/ समाज कल्‍याण विभाग के माध्‍यम से क्रियान्वित किया जाए या स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग के माध्‍यम से क्रियान्वित किया जाए ।

**\*\*\*\*\***